"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-01/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर लाल झंवर, तत्कालीन न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर वर्तमान में सेवानिवृत्त को दिनांक 13-06-2011 से 16-06-2011 तक (04 दिन) के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 11 एवं 12 जून, 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्रमांक/एफ 10-11/2011/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 अध्याय 2 धारा-3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री सुखदेव तांती, हीरानार, गीदम, जिला-दंतेवाड़ा एवं श्री रामकिशुन सिंह, कुसमी, जिला-सरगुजा को उनकी पद ग्रहण तिथि से आगामी 03 वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य, अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्रमांक/एफ-17/25-1/07/2011/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री दिलीप सिंह होरा, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर तथा श्री मुर्तजा बनक, बिलासपुर को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है.

2. श्री दिलीप सिंह होरा, रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर पद धारण तिथि से डॉ. दीपक क्लाडियस, सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद के दायित्व से मुक्त समझे जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./2011.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, बस्तर क्षेत्रान्तर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चतकरण (Route Formulation) करती है :—

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
	बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—	
1.	रायगढ़ से लवाकेरा	हमीरपुर, तमनार, डोंगामहुआ, मिलुपारा, तोलगो, सोनाजोरी, जोखड़ा, सराईटोला
2.	पथरिया से बिल्हा	धरदेयी, चंदली, बदरा, दौना, सरगांव
3.	बाराद्वारा से बालको	सकरेली, किरारी, पुटेकेला, बरपालीकला, लबेद, तुमान, भैसमा, बेदरकोना, गोढ़ी, रिस्दी, कोसाबाड़ी.
4.	जशपुर से खरसिया	कोसीर, सारंगढ़, चन्द्रपुर, डभरा
	अंबिकापुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—	
1.	अंबिकापुर से डकई	सोनपुर, परजा, हुसली, अजिरमा, कुन्नी
2.	आनंदपुर (गोयनी) से पटना	सलगंवा, नरवाही (चूलादार), रामगढ़, सोनहत, कटगोड़ी, बैकुण्ठपुर
3.	ओड़गी से बैकुण्ठपुर	भैयाथान, बड़सरा, पण्डोपारा, पटना
	रायपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—	
1.	अमेठी से बलौदाबाजार	खैरी, बांस बिनौदी, सोनारदेवरी
2.	कवर्धा से सरईसेत	पोंड़ी, पाण्डातराई, पण्डरिया

(1)	(2)	(3)
3.	बिलासपुर से महासमुंद	करहीमेकरी, बलौदाबाजार, पलारी, रोहासी, अमेठी, सिरपुर
4.	रायपुर से नवापारा	मंदिरहसौद, नयाविधानसभा, मोकेतरा
5.	रायपुर से धनौरा	धमतरी, कांकेर
6.	कुम्ही से बोड़सरा	क्षितापार, पेण्ड्री, कुण्डा
7.	लोहारा से सरईसेत	पण्डरिया, महाराजपुर, कवर्धा, पाण्डातराई
8.	नवागढ़ से बेमेतरा	चारभाठा, समेसर, अधियारखोर, झाल
9.	बलौदाबाजार से बिलाईगढ़	लवन, कसडोल, कटगी, गिधौरी
10.	बेमेतरा से रायपुर	टुण्डरा, खरदा, चंहदा, लखनाघाट, कुंरा, धरसींवा
11.	बलौदाबाजार से मानपुर	लवन, कसडोल, सोनाखान, चांदन
12.	कोचा से मुंगेली	कुम्ही, बेलमुड़ा, बोरगट्टा, खैरखार, पेण्ड्री
13.	खिरसाली से महासमुंद	रायमुड़ा, रायतुम, पटेवा
14.	कवर्धा से मण्डई	बोड़ला, चिल्फी, रेंगाखार
1.	कवर्धा से सरईसेत	पण्डरिया, कोदवा, गोड़ान
16.	कवर्धा से गुड़ानवापारा	पोंडी, पण्डरिया, कोदवा, गोड़ान
17.	खम्हरिया से कुकदुर	कवर्धा, बोड़ला, तरेगवां, दलदली
18.	कठौतिया से डिण्डौरी	दामापुर, कुण्डा, पण्डरिया, कोदवा, गोड़ान
19.	मुंगेली से दलदली	गोड़ामोर, मोहतरा, नेवरा, गोढ़ीकांपा
20.	कुण्डा से मरका	भगतपुर, कोलगांव, सैहामालगी, कोयलारी, जैतपुरी
21.	दाढ़ी से कवर्धा	कोलयारी, पचभैया, मरका, पिपरिया
22.	पण्डरिया से दाढ़ी	रूसे, मरका, पचभैया
23.	कवर्धा से रायपुर	ठाठापुर, खम्हरिया, साजा, बेरला, ककुसमी, भिंभौरी, बीरगांव
24.	कवर्धा से रायपुर	गोछिया, खम्हरिया, साजा, बेरला, हसदा, नेवनारा, बिरगांव
25.	मुंगेली से दलदली	गोड़मोड़, मोहतरा, नेवरा, गोठीकापा
26.	कुण्डा से मरका	भगतपुर, कोलगांव, सैहामालगी, कोयलारी, जैतपुरी
27.	नवापारा से लोरमी	कोदवा, दुल्लापुर, कापादह, किशुनगढ़
28.	सरई से पण्डरिया	कोदवा, दुल्लापुर, कापादह, किशुनगढ़
29.	देवसरा से पण्डरिया	बिरमपुर, खैरझिटी, दाढ़ी
30.	रेंगाखार से कवर्धा	लालपुर, सरोदा बांध
31.	चिल्हाटी से गोटाटोला	कौड़ीकसा, मार्री, भोजटोला, मोहला, विजयपुर
32.	मोहला से मानपुर	एकटकन्हार, दिगवाड़ी, कुम्हारी, भर्रीटोला
33.	डोंगरगांव से दल्लीराजहरा	चौकी, कौड़ीकसा, मार्री, भोजटोला, मोहला, विजयपुर, गोटाटोला, खड़गवां, बिटेझर.
34.	मोहला से रामगढ़	जबकसा, कनेरी
35.	मोहला से खड़गवां	विजयपुर, गोटाटोला, सरोली
	बस्तर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—	
1.	दंतेवाड़ा से बड़ेसेट्टी	नकुलनार, गादीरास, सुकमा, केरलापाल
2.	फरसेगढ़ से मट्टीमार्का	बीजापुर, मद्देड़, भोपालपटनम
3.	तारलागुड़ा से गंगालुर	भद्रकाली, भोपालपटनम, मद्देड़, बीजापुर
4.	मद्देड़ से बीजापुर	
5.	गंगालुर से वासागुड़ा	बीजापुर, आवापल्ली
6.	अंटेकशा से कांकेर	कोडेकुर्से, दुर्गकोंदल, संबलपुर, भानुप्रतापपुर, कोरर, धनेली

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) क उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	कल्याणपुर	1.28	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर.	अखोराकला-कल्याणपुर मार्ग पर फुलझर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5706/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	छछानपहरी प. ह. नं. 11	5.549	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5707/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पिनकापार प. ह. नं. 30	11.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार व्यपवर्तन के बांधपार, डुबान क्षेत्र में अर्जित हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5708/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	माटेकट्टा प. ह. नं. 28	8.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार व्यपवर्तन के बांधपार एवं डुबान क्षेत्र में अर्जित हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बिंजकोट प. ह. नं. 14	144.411	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 5 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	कुशभाठा प. ह. नं. 41	14/1	0.014	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार.	सलिहा, बिलारी मार्ग
			52/3	0.012		
			14/2	0.014		
			53/1, [illegible]4/1	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			53/2, 54/2	0.080		
			52/27	0.039		
			52/28	0.039		
			52/29	0.039		
			107/1	0.008		
			103/5	0.012		
			74	0.044		
			51/12, 52/21	0.012		
			146/8	0.019		
			75/2	0.032		
			156/4	0.039		
			156/5	0.019		
			156/7	0.019		
			77/1	0.032		
			146/3	0.077		
			153	0.089		
			152/2	0.012		
			79/1	0.063		
			103/2	0.012		
			114/2	0.016		
			115/2	0.028		
			107/3	0.012		
			107/2	0.036		
			79/2	0.028		
			114/3	0.008		
			105/1, 106/2	0.073		
			103/1	0.073		
			147/2	0.024		
			147/8	0.032		
			51/13, 52/20	0.012		
			146/4	0.020		
			103/3	0.008		
			51/14, 52/22	0.012		
			146/5	0.019		
			146/6	0.019		
			148/2	0.058		
			49/7	0.004		
			148/4	0.059		
			108/1	0.010		
			148/5	0.058		
			148/6	0.059		
			108/2	0.010		
			49/19	0.004		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			52/19	0.006		
			52/27	0.006		
			144/1	0.049		
			140/2, 155, 156/1, 156/3	0.404		
			140/3	0.081		
			145/2	0.145		
			148/1	0.062		
			148/3	0 063		
			112/2	0.012		
			114/1	0.008		
			105/2, 106/3	0.012		
			147/3	0.057		
			147/7	0.049		
		योग	**60**	**2.442**		

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 5-अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	खानीखार प. ह. नं. 23	10/1	0.057	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार.	सलिहा, बिलारी मार्ग
			11, 17, 19/2	0.222		
			12/5	0.036		
			12/1, 13/2, 14/3	0.105		
			13/1	0.053		
			52/3, 52/14	0.365		
			14/2	0.008		
			13/3, 13/4	0.057		
			48/1	0.161		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			54	0.482		
			46/1-2	0.061		
			48/2, 49/1	0.144		
			52/6, 52/19	0.101		
			45/2	0.020		
			50/2	0.121		
			15/3	0.049		
			52/7	0.036		
			52/8	0.049		
			25/6 ख	0.061		
			25/3	0.032		
			25/9	0.117		
			3/1 ण	0.069		
			3/1 त	0.097		
		योग	**23**	**2.503**		

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 5-अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	खैरा प. ह. नं. 26	2/1	0.049	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार.	सलिहा, बिलारी मार्ग
			2/3	0.049		
			2/4	0.076		
			2/2	0.068		
			2/5	0.072		
			9/5	0.032		
			9/8	0.028		
			9/4	0.020		
			9/9	0.032		
			12/14	0.052		
			11/1	0.025		
			11/5	0.026		
			11/4	0.025		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			11/6	0.121		
			11/2	0.120		
			12/11	0.024		
			12/1	0.023		
			12/16	0.023		
			12/15	0.022		
			49/1	0.028		
			91/2	0.032		
			76/4	0.073		
			74/10, 91/2, 91/6	0.233		
			84/10, 85/11	0.020		
			84/1, 85/3	0.028		
			84/7, 85/8	0.021		
			84/4, 85/5	0.020		
			84/3	0.016		
			84/5, 85/6	0.020		
			84/9, 85/10	0.020		
			84/6, 85/7	0.028		
			84/12	0.016		
			84/8, 85/9	0.020		
			9/1	0.044		
			9/3	0.049		
			11/3	0.089		
			96/2	0.077		
			24/1	0.051		
			24/2	0.025		
			4/17	0.010		
			24/3	0.025		
			4/3	0.010		
			4/18	0.010		
			4/19	0.011		
			37/9, 91/13	0.028		
			37/25, 91/30	0.020		
			37/28, 91/33	0.028		
			84/1 श, 83/2	0.049		
			37/24, 91/29	0.020		
			37/30, 91/35	0.020		
			37/29, 91/34	0.049		
			37/3, 91/36	0.024		
			91/4	0.185		
			85/1, 98/6	0.061		
			85/2	0.076		
		योग	54	2.423		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 72/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5	0.03
	48	0.04
	49	0.25
	61	0.16
	11	0.10
	16	0.10
	57	0.11
	12	0.15
	56	0.26
	15	0.60
	19	0.50
	51	0.18
	58	0.11
	68	0.01
	69	0.02
	70	0.03
	21/2	0.04
योग	17	2.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत रोड क्रमांक-8 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-सेंध, प. ह. नं. 68/21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	146	0.34
	148	0.37
	151	0.21
योग	3	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत बी.एस.एफ. मुख्यालय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 4 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प. ह. नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
250	1.39
410	0.25
77	0.30
360	0.67
361/1	0.31
362/1	0.23
363/2	0.05
363/3	0.08
364/2	0.32
145	0.26
21	0.46
429	0.06
42/1	0.10
397/1	0.43
42/3	0.11
397/3	0.43
399/2	0.50
42/4	0.10
138/4	0.21
199/4	0.09
202/4	0.14
262/4	0.05
253/4	0.06
241/4	0.12
220/2	0.05
397/4	0.43
42/5	0.10
117	0.85
210	0.08
19	0.02
400/432	0.03
416/2	0.41
54	0.01
57	0.02
61	0.02
70	0.10
110	0.03
111	0.03
112	0.03
योग 39	8.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत प्लानिंग क्षेत्र फेज-1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 6 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चेरिया, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.02
25	0.55
योग 2	0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत आय.आय.एम. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 7 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पौता, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	675	0.85
योग	1	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत आय.आय.एम. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 9 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-रमचण्डी, प. ह. नं. 72/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.785 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105	0.100
	134/1	0.120
	139	0.534
	136/2	0.385
	137	0.070
	134/2	0.108
	111/1	0.021
	128/1-5-6	0.002
	136/1	0.085
	76	0.008
	77/3	0.010
	83	0.008
	84	0.090
	104	0.244
योग	14	1.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत नहर री-एलाईमेंट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5699/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सेम्हरबांधा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
380	0.14
395	0.16
381/1	0.02
381/2	0.03
381/3	0.03
382/2	0.02
383	0.03
407/1	0.04
384	0.06
421/3	0.02
427/1	0.02
406	0.01
423	0.06
408	0.08
409/1	0.01
399/2	0.01
409/2	0.02
409/3	0.02
409/4	0.02
414	0.06
413	0.04
415	0.08
418	0.03
420/1	0.02
420/2	0.03
420/3	0.03
402	0.03
422	0.15
432	0.45
424	0.06
425	0.05
426	0.13
431	0.40
399/1	0.01
399/3	0.01
421/4	0.02
397	0.06
387	0.07
412	0.02
417	0.03
390	0.05
421/2	0.02
420/2	0.03
410	0.03
419	0.03
421/1	0.02
403	0.08
411	0.04
427/2	0.02
398	0.03
400	0.06
योग 51	3.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5700/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-कातुलवाड़ा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.00 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
95/3	0.08
68	0.18
95/4	0.08
70	0.18
95/6	0.15
65/1	0.24
97/3	0.15
79	0.24
97/1	0.15
97/2	0.15
75/1	0.12
90	0.22
96	0.44
71	0.38
92	0.17
85/1	0.40
95/1	0.60
89/1	0.02
93	0.39
94	0.57
95/2	0.30
84/4	0.27
74/2	0.15
80/2	0.50
84/1	0.16
95/5	0.34
67	0.34
74/1	0.15
80/1	0.50
78/2	0.15
65/2	0.32
77	0.24
72	1.28
75/2	0.12
73	0.24
78/1	0.25
76	0.23
69	0.18
91	0.22
84/2	0.15
योग 40	11.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5701/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
214/16	0.60
755	0.27
योग 2	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर से भदेरानवागांव सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5702/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में).
	(1)	(2)
	120/2	0.041
	115	0.012
योग	2	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माहरूटोला-रामपुर मार्ग पर महरूमनाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5703/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रतनभाट, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	226/2	0.097
योग	1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतनभाट करमरी मार्ग पर मोतीनाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5704/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-शुहाडबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.580 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187/1	0.012
196	0.049

	(1)	(2)
	197	0.425
	198/1	0.045
	199	0.49
योग	5	0.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी सेतु निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक/5705/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-ब्राम्हणभेड़ी, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.091 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	679/4	0.020
	676	0.101
	712/5	0.049
	712/8	0.024
	712/15	0.218
	712/7	0.012
	712/14	0.218
	712/17	0.263
	712/1	0.162
	712/16	0.024
योग	10	1.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -ब्राम्हणभेड़ी थुहाडबरी मार्ग में शिवनाथ नदी पर सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ 82/2010 11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कटोद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.879 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
706	0.121
704, 898, 899	0.142
897	0.182

(1)	(2)
890/2	0.162
891/1	0.470
891/2	0.085
885	0.470
871/[illegible]	0.182
871/5	0.210
869/1	0.036
869/2	0.053
857	0.113
854	0.085
852	0.036
851	0.049
803/1	0.093
853/1	0.024
801/1	0.028
801/2	0.024
800/2	0.036
799	0.040
798	0.097
787	0.077
786/3	0.081
785	0.101
1010	0.057
1009/2	0.036
1016	0.077
1015	0.040
1018	0.077
1019	0.024
1006	0.061
1004	0.049
1003/5	0.032
1028/1	0.016
1028/2, 1030/2	0.061
1030/1	0.109
1027/3	0.069
1028/3	0.016
1037/2	0.061
1037/1	0.097
योग 41	3.879

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-ग्राम कटौद में कटौद व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-केवाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.825 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
531/2, 532/2	0.045
531/4, 532/4	0.020
535/2	0.049
535/3	0.073
535/5	0.024
536	0.028
541/2	0.121
542/1	0.032
542/2 क	0.101
543/1 ख	0.024
561	0.045
562	0.121
566	0.198
569	0.081
571/2	0.036
571/3, 585/2	0.057
584	0.061
514/1	0.097
514/2	0.113
353/2	0.275
336/2	0.061
326	0.101
327/1	0.012
325/3	0.012
324	0.032

(1)	(2)
323	0.012
317/2	0.117
319	0.057
307	0.089
303	0.198
301	0.275
302	0.032
300/1	0.049
295	0.081
281/2, 293/2	0.036
279/1 क	0.077
279/4	0.053
279/5	0.069
278	0.073
263	0.061
261/1	0.024
261/2	0.024
602/1, 602/3	0.077
611/1, 612/1	0.053
611/2, 612/2	0.032
611/3, 612/3	0.020
613/1	0.040
613/2	0.040
608	0.077
608/963	0.061
652/2	0.016
653/1, 653/2, 654	0.206
650	0.057
योग 50	3.825

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-ग्राम केवाली में कटौद व्यपवर्तन योजना कें अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-बर्रा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.743 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1229	0.061
1230/1	0.206
1228/2	0.607
1228/5	1.052
1228/4	0.522
1228/3	0.105
1227	0.061
1265/2	0.020
1203/20	0.040
1203/15	0.069
योग	2.743

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-ग्राम बर्रा में बर्रा जलाशय का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-काफरमार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/1	0.817
23/2	0.071
23/3	0.042
24	0.223
3/1 क/14	0.405
26/2	0.117
26/3	0.087
3/1 क/3	0.405
3/1 क/6	0.607
3/1 क/15	0.384
3/1 क/7	0.405
3/1 क/10	0.607
3/1 क/8	0.214
3/1 क/11	0.405
3/2	0.097
4/1	0.283
7	0.206
4/2	0.105
योग 18	6.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-ग्राम काफरमार में पोडी जलाशय का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th July 2011

No. 384/L.G./2011/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, District & Sessions Judge, Korba is hereby granted earned leave for 08 days from 30-07-2011 to 06-08-2011 and permission to suffix holiday of 07-08-2011 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters after the Court hours on 29-07-2011 till before the Court hours on 08-08-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 270 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th July 2011

No. 386/L.G./2011/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby granted earned leave for 04 days from 16-08-2011 to 19-08-2011 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours on 12-08-2011 till 14-08-2011 & after the flag ceremony on 15-08-2011 till before the Court hours on 23-07-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 278 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.